न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) -- जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 75/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री अरविन्द सिंह शेखावत, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

मैसर्स राधे राधे जनरल स्टोर, रेल्वे स्टेशन जयपुर श्री दिलखुश पुत्र पप्पू, ग्वालियर मध्यप्रदेश कार्यकर्ता।

4. निर्णय दिनांक : 23.05.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम श्री राजेश कुमार टांक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 20.01.2020 को मय जांच दल के घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरुपयोग की शिकायत की जांच हेतु पंचायती धर्मशाला, रेल्वे स्टेशन, जयपुर पर पंहुच कर मैसर्स राधे राधे जनरल स्टोर की जांच की गई। मौके पर श्री दिलखुश मिले जिन्होंने स्वयं को दुकान का कार्यकर्ता होना बताया एवं दुकान मालिक जयपुर से बाहर होना बताया मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से लगा पाया गया जिस पर चाय बनाई जा रही थी। मौके पर अप्रार्थी ने सिलेण्डर के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ना ही उनके संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा 1 घरेलू सिलेण्डर (आईओसी) मय 10.400 किग्रा. जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस पर जी.आर.पी. थाने द्वारा रिपोर्ट की गई है कि राधे राधे जनरल स्टोर रेल्वे स्टेशन पर नहीं है। ऐसे में तामील नहीं हुई है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि मौके पर कार्यवाही के दौरान आरोपी दिलखुश उपस्थित था जिसने अवश्यम्भावी दुकान मालिक को प्रकरण की जानकारी दी होगी। परन्तु फिर भी अप्रार्थी द्वारा आज तक कोई उपस्थिति या दावा जब्त माल के संबध में पेश नहीं किया। कार्यवाही के दौरान 8 पत्रावली लम्बे समय से आरोपी अभियुक्त की तामील के इन्तजार में लम्बित है। मोबाईल पर सम्पर्क करने पर नम्बर बन्द आ रहा है। जप्त घरेलू सिलेण्डर के लिए किसी अन्य व्यक्ति ने भी दावा पेश नहीं किया है। ऐसे में पत्रावली को और लम्बित रखा जाना उचित नहीं समझते। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 23.05.2024को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 20.01.2020 को जब्त घरेलू सिलेण्डर का जनरल स्टोर की दुकान पर चाय बनाने में वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। परन्तु मौके या कार्यवाही के दौरान अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये गये थे। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण की जानकारी अप्रार्थी को होते हुए भी वह अपना पक्ष रखने एवं जब्त सामग्री का दावा पेश करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी के सही पते की जानकारी ना होने से नोटिस तामील नहीं हो सके हैं। अप्रार्थी ने जब्त सिलेण्डरों से संबधित कोई भी दस्तावेज मौके पर पेश नहीं किये। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर (आईओसी) को भट्टी से जोडकर चाय बनाने के कार्य में उपयोग करते हुए पाया गया। जिससे घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक उपयोग पुष्ट होता है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 1 घरेलू सिलेण्डर (आईओसी) मय 10.200 किग्रा. को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR